

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०-वि.प्रा.(II) सामु.पो.-01/2013-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय- केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme of Community Development Through Polytechnics (CDTP)" के कार्यान्वयन हेतु विभागान्तर्गत 8 पोलिटेकनिक संस्थानों यथा नवीन राजकीय पोलिटेकनिक पाटलीपुत्र, राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर, राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा, राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी, राजकीय पोलिटेकनिक पूर्णिया, राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा, राजकीय पोलिटेकनिक गया एवं राजकीय पोलिटेकनिक भागलपुर को वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू. 82,41,0000=00 (बेयासी लाख इकतालीस हजार रुपये) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वकृत्यादेश संख्या-130, दिनांक 17.01.2014 के द्वारा विभागान्तर्गत 8 पोलिटेकनिक संस्थानों यथा नवीन राजकीय पोलिटेकनिक पाटलीपुत्र, राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर, राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा, राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी, राजकीय पोलिटेकनिक पूर्णिया, राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा, राजकीय पोलिटेकनिक गया एवं राजकीय पोलिटेकनिक भागलपुर में केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme of Community Development Through Polytechnics (CDTP)" के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रू. 95,00,000=00 (पंचानवे लाख रुपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2013-14 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त विमुक्त राशि में से व्यय के उपरांत संबंधित संस्थानों द्वारा कुल रू. 82,40,763=00 (बेयासी लाख चालीस हजार सात सौ तीरसठ रुपये) मात्र प्रत्यर्पित कर दी गई।

3. राज्य सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में संबंधित संस्थानों को संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू. 82,41,0000=00 (बेयासी लाख इकतालीस हजार रुपये) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजना बजट के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-105- बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0205- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान-पॉलिटेक्नीक के माध्यम से सामुदायिक विकास" के अधीन द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- P2203001050205 है।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

6. उक्त राशि की निकासी कोषागार पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगुसराय, पूर्णिया, सहरसा, गया तथा भागलपुर से की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक- F.21-16/2011-TS.IV, दिनांक 25.11.2011 एवं पत्रांक- F.21-14/2012-TS.IV, दिनांक 17.09.2012 तथा अन्य सुसंगत पत्रों द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
10. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह./ -
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(II) सामु.पो.-01/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(II) सामु.पो.-01/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगुसराय, पूर्णिया, सहरसा, गया तथा भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(II) सामु.पो.-01/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक पाटलीपुत्र, राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर, राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा, राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी, राजकीय पोलिटेकनिक पूर्णिया, राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा, राजकीय पोलिटेकनिक गया एवं राजकीय पोलिटेकनिक भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(II) सामु.पो.-01/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- निदेशक, एन.आई.टी.टी.टी.आर., कोलकता, Block-FC, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(II) सामु.पो.-01/2013-

3048 /पटना, दिनांक 31-12-015

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी- 3/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/15

30/12/15
सरकार के अपर सचिव

आर्डी-29-म

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme of Community Development Through Polytechnics (CDTP)" के कार्यान्वयन हेतु विभागान्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटेकनिक पाटलीपुत्र, राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर, राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा, राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी, राजकीय पोलिटेकनिक पूर्णिया, राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा, राजकीय पोलिटेकनिक गया एवं राजकीय पोलिटेकनिक भागलपुर को विमुक्त राशि की विवरणी

(राशि रुपये में)

विषयशीर्ष	न. रा. पो. पटना-13	रा. पो. मुजफ्फरपुर	रा.पो. दरभंगा	रा. पो. बरौनी	रा. पो. पूर्णिया	रा. पो. सहरसा	रा. पो. गया	रा. पो. भागलपुर	कुल
11 01 यात्रा व्यय	33000	15000	24000	48000	42000	38000	33000	48000	281000
13 01 कार्यालय व्यय	33000	27500	5000	40500	0	15000	32000	48000	201000
13 02 वाहन का इंधन एवं रखरखाव	46000	37000	34000	55000	43000	42000	44000	67000	368000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	130000	66000	94000	151000	50000	75000	124000	188000	878000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	38000	30000	28000	56000	38000	38000	37000	57000	322000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	820000	602800	473000	1166300	635000	543000	758900	1192000	6191000
कुल	1100000	778300	658000	1516800	808000	751000	1028900	1600000	8241000
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)

(क) ग्यारह लाख रुपये मात्र।

(ग) छः लाख अठावन हजार रुपये मात्र।

(ङ) आठ लाख आठ हजार रुपये मात्र।

(च) दस लाख अठाईस हजार नौ सौ रुपये मात्र।

(झ) बेयासी लाख इकतालीस हजार रुपये मात्र।

(ख) सात लाख अठहतर हजार तीन सौ रुपये मात्र।

(घ) पन्द्रह लाख सोलह हजार आठ सौ रुपये मात्र।

(च) सात लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र।

(ज) सोलह लाख रुपये मात्र।

सरकार के अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

30/12/15